

**भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

**अवसंरचना विकास में लगे निर्धारितियों
को कटौती की अनुमति
की
निष्पादन लेखापरीक्षा**

**संघ सरकार
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर
2016 की प्रतिवेदन संख्या 28**

विषय सूची

| पैरा सं. | विषय | पृष्ठ |
|-----------------------------------|---|-------------|
| | प्राक्कथन | i |
| | कार्यकारी सार | iii-vii |
| | सिफारिशों का सार | viii-ix |
| अध्याय 1: प्रस्तावना | | 1-5 |
| 1.1 | प्रस्तावना | 1 |
| 1.2 | संगठनात्मक ढांचा | 1 |
| 1.3 | हमने यह विषय क्यों चुना | 2-3 |
| 1.4 | लेखापरीक्षा उद्देश्य | 3 |
| 1.5 | लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र | 3-4 |
| 1.6 | लेखापरीक्षा नमूना | 4 |
| 1.7 | आभार | 4-5 |
| अध्याय 2: प्रणालीगत मुद्दे | | 6-36 |
| 2.1 | प्रस्तावना | 6 |
| 2.2 | अपात्र निर्धारितियों को अनुमत की गई कटौती | 7-12 |
| 2.3 | उस व्यवसाय को कटौती अनुमत की गई जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं था | 13-15 |
| 2.4 | न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की गलत गणना | 15-17 |
| 2.5 | अस्थायी वस्तुओं का मूल्यांकन | 18-19 |
| 2.6 | व्यवसाय बनाम उपक्रम की औषत आय/हानि का संग्रह | 20-23 |
| 2.7 | पात्र इकाइयों से संबंधित अग्रणीत हानियों तथा अनावशोषित मूल्यहास के समायोजन में विसंगतियां | 23-26 |
| 2.8 | कार्बन क्रेडिटों की बिक्री से प्राप्तियों का निरूपण | 27-29 |
| 2.9 | संवीक्षा निर्धारण के दौरान किये गए संवर्धनों पर कटौती | 29-31 |
| 2.10 | आंतरिक/निजी उपयोग के लिए विकसित संरचनात्मक सुविधा पर कटौती | 31-34 |
| | सिफारिशें | 34-36 |

| अध्याय 3: निर्धारण में गलती | | 37-58 |
|--------------------------------------|---|--------------|
| 3.1 | प्रस्तावना | 37 |
| 3.2 | रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती की अनुमति | 38-39 |
| 3.3 | अनुमेय अवधियों के बाद अनुमत कटौती | 39-41 |
| 3.4 | व्ययों का गलत आबंटन | 41-43 |
| 3.5 | विघटन/एकीकरण के परिणाम | 43-44 |
| 3.6 | पात्र लाभों की गणना में गलतियां | 44-46 |
| 3.7 | संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन बाजार कीमत पर नहीं किया गया- | 46-47 |
| 3.8 | पुराने संयंत्र तथा मशीनरी/पूर्ववर्ती अवसंरचना सुविधा/पहले से ही मौजूद व्यवसाय के विभाजन पर अनुमत कटौती | 48-51 |
| 3.9 | अन्तरण मूल्य निर्धारण (टीपी) समायोजन पर कटौती का अनुमोदन | 51-52 |
| 3.10 | अन्य स्रोतों से आय के प्रति कटौती | 52-54 |
| 3.11 | अन्य त्रुटियाँ | 54-56 |
| 3.12 | विशेष आरक्षित निधि के सृजन के बिना कटौती की अनुमति | 56-58 |
| | सिफारिशें | 58 |
| अध्याय 4: नियंत्रण क्रियाविधि | | 59-73 |
| 4.1 | प्रस्तावना | 59 |
| 4.2 | छोड़ा गया राजस्व | 59-60 |
| 4.3 | धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली निर्धारिती कम्पनियों से संबंधित एमआईएस रिपोर्टों का अभाव | 60-62 |
| 4.4 | लेखापरीक्षक की अपूर्ण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र | 62-65 |
| 4.5 | फार्म 10 सीसीबी देरी से दाखिल करना/ई-फाइलिंग नहीं करना | 65-66 |
| 4.6 | अधिनियम में संशोधन के अनुसार फार्म 10 सीसीबी को संशोधित नहीं किया गया | 66-67 |
| 4.7 | संवीक्षा हेतु 80 आईए मामलों का चयन न करना | 67-70 |
| 4.8 | निर्धारितियों के बिक्री/खरीद दावे की क्रास लिंकिंग के लिए कोई प्रक्रिया नहीं | 70 |
| 4.9 | तकनीकी प्रमाणीकरण की आवश्यकता | 70-71 |
| | सिफारिशें | 71-73 |
| | परिशिष्ट (1 से 25 तक) | 75-132 |